जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।
E-mail: suchnaharidwar@gmail.comदूरभाष/फैक्स : 01334–226695, मोबाइलः 9412074595

दिनांक : 24.01.2018

प्रेस विज्ञप्ति

हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने दूरसंचार कम्पनियों के प्रतिनिधियो की एक बैठक कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में ली। बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, सहित पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने रोड के अंदर अपनी दूरसंचार लाइने बिछाने के लिए निजि दूरसंचार कम्पनियों के आवेदनों पर विचार विमर्श कर सशर्त अनुमति प्रदान की। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्री गर्ग ने बताया कि लाइने बिछाने के लिए रिलायंस, वोडाफोन आदि कम्पनियों ने आवेदन किये हैं। जिसमें सर्वाधिक आवेदन रिलायंस के हैं। रिलायंस शहरी हरिद्वार में सेंटमेरी स्कूल, शिवमूर्ति चौक, वोडाफोन स्टोर के सिंहद्वार से शंकर आश्रम तथा ग्रामीण में मंगलौर से झबरेड़ा के बीच मे अपनी लाइने बिछाने के लिए रोड कटिंग की अनुमति चाहती हैं।

जिलाधिकारी ने रिलायंस से आये प्रतिनिधियों को एक बार मे केवल 200 मीटर तक खोदने तथा कार्य समाप्ति पर पक्के ढंग से सड़क को बंद करने के निर्देश दिये। किसी भी क्षेत्र मे रोड कटिंग से पूर्व जल संस्थान, पेयजल निगम को अनिवार्य रूप से सूचित करने की प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान की। दी गयी समय अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा। एक स्थान पर सड़क बंद होने तक अन्यत्र सड़क नहीं काटी जाये। यदि रोड कटिंग के कारण बने गडढ़ों में शर्तो के उल्लंघन पाया जाता है या किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो सम्बंधित कम्पनी के विरूद्ध मुकदमाद दर्ज कराये जाने की भी बात कही।

बैठक में शेष कम्पनियों की प्रतिनिधियों के अनुपस्थित होने पर आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं।

जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार।